

From,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.
To,
The District Judge,
Meerut.

No. 15573/IV-3210/Admin.(A)

Dated: Nov. 16, 2013.

Subject: Counting of previous service of Sri Sanjay Kumar Singh-I, Addl. Civil Judge (Senior Division), Meerut with his present service in U.P. Judicial Services.

Sir,

With reference to aforesaid subject, I am sending herewith copy of Government Memorandum No. 714/II-4-2013-23(12)/2007 dated 21.10.13 with the request to kindly communicate contents of aforesaid Govt. Memo to Sri Sanjay Kumar Singh-I, Addl. Civil Judge (Senior Division), Meerut as well update the same in his service-records at your office for future reference..

Enclosures:

Copy of Government Memorandum No. 714/
II-4-2013-23(12)/2007 dated 21.10.13.

Yours faithfully,
K. K. Chauhan
12.11.13
Deputy Registrar

No. 15574/IV-3210/Admin.(A)

Dated: Nov 16, 2013.

Copy forwarded to following:

(1) The Additional Director, Directorate of Treasuries, New Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad with the request to kindly keep both the service-books (in 2 volume) along with copy of Govt. Memo dated 21.10.13 in service-records of Sri Sanjay Kumar Singh-I, Addl. Civil Judge (SD), Meerut, at your office for future reference.

Enclosures:

- (1) Original service-book (two volume) of Sri Sanjay Kumar Singh-I, Addl. Civil Judge (SD), Meerut.
- (2) Copy of Government Memorandum No. 714/II-4-2013-23(12)/2007 dated 21.10.13.

(2) Sri Sanjay Kumar Singh-I, Addl. Civil Judge (Senior Division), Meerut.

Enclosures:

Copy of Government Memorandum No. 714/
II-4-2013-23(12)/2007 dated 21.10.13.

K. K. Chauhan
12.11.13
Deputy Registrar

DR (M)
Previous service rendered by Sri Sanjay Kumar Singh-I, Addl. Civil Judge (SD), Meerut- Meerut has been permitted by Govt. to be added with his present service for purpose of pensionary benefits. May kindly see this letter and issue? Pratik Singh
11/11/13 (RO)

Pratik Singh
12/11/13
AR

Scantal
31-10-13
Excl-वैश्या प्रस्ताव

8.11.13
6.11.13

Request-78
Registar File No. 1398
Serial 3210
2013
106

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-714/दो-04-2013-23(12)/2007
लखनऊ दिनांक: 21 अक्टूबर, 2013
कार्यालय ज्ञाप

श्री संजय कुमार सिंह
अपर सिविल जज (सी0डि0)
मेरठ की पूर्व/वर्तमान न्यायिक सेवापुस्तिका
दस्तावेज संख्या-106/2006
दस्तावेज संख्या-106/2006

उप निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के
संख्या-9124/चार-3210/एडमिन(ए) दिनांक 09.07.2013 द्वारा श्री संजय कुमार सिंह-1
अपर सिविल जज(सी0डि0), मेरठ की पूर्व पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर दिनांक
11.09.2001 से 15.06.2006 तक की गयी सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु वर्तमान उत्तर
प्रदेश न्यायिक सेवा में जोड़े जाने के सम्बन्ध में प्राप्त आख्या/संस्तुति के अनुक्रम में
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री संजय कुमार सिंह-1, अपर सिविल
जज मेरठ के उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 17.06.2006 को योगदान करने से पूर्व
पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर दिनांक 11.09.2001 से 15.06.2006 तक की गयी
सेवाओं को मात्र सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु सिविल सर्विस रेग्युलेशनस के अनुच्छेद-370 के
अधीन जोड़े जाने तथा दिनांक 16.06.2006(एक दिन), जो यात्रा करने में समय व्यतीत हुआ,
के सेवा व्यवधान को सिविल सर्विस रेग्युलेशनस के अनुच्छेद-422 तथा शासनादेश
संख्या-सा-3-1713/दस-87-933/89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 के प्रस्तर-4(ज) में
निहित व्यवस्था के अधीन मर्षित किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती
है कि श्री संजय कुमार सिंह-1 की सेवानिवृत्ति के समय यदि कोई भिन्न नियम प्रभावी होते
हैं तो यथासमय उन्ही नियमों के अनुरूप अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। उक्त व्यवधान की
अवधि दिनांक 16-06-2006 को किसी भी दशा में अर्हकारी सेवा के रूप में जोड़ा नहीं
जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (सामान्य)अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या-3-874/दरा-
2013 दिनांक 26 सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

29-10-13
2039
29-10-13

①

DRCM)

withdrew Two
Service Book

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-714(1)-दो-04-2013-तददिनांक

- उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को श्री संजय कुमार सिंह-1, अपर सिविल जज (सी0डि0) मेरठ की पूर्व/वर्तमान न्यायिक सेवापुस्तिका (मूलरूप) दो अदद संलग्न कर कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - 3- जनपद न्यायाधीश, मेरठ।
 - 4- पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन 8वाँ तल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
 - 6- श्री संजय कुमार सिंह-1, अपर सिविल जज (सी0डि0), मेरठ।
 - 7- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
 - 8- गार्ड बुक हेतु।

8.11.13

02 8303
S. R. Ram

आज्ञा से
(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव

Dr R. Ram
31-10-13

Km. Prantih
31/10/13

Santlal
28-10-13
10-0-Encl

28-10-13

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-4

संख्या-714/दो-04-2013-23(12)/2007

लखनऊ : दिनांक: 21 अक्टूबर, 2013

कार्यालय ज्ञाप

उप निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-9124/चार-3210/एडमिन(ए) दिनांक 09.07.2013 द्वारा श्री संजय कुमार सिंह-1 अपर सिविल जज(सी0डि0), मेरठ की पूर्व पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर दिनांक 11.09.2001 से 15.06.2006 तक की गयी सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु वर्तमान उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में जोड़े जाने के सम्बन्ध में प्राप्त आख्या/संस्तुति के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री संजय कुमार सिंह-1, अपर सिविल जज मेरठ के उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 17.06.2006 को योगदान करने से पूर्व पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर दिनांक 11.09.2001 से 15.06.2006 तक की गयी सेवाओं को मात्र सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु सिविल सर्विस रेग्यूलेशनस के अनुच्छेद-370 के अधीन जोड़े जाने तथा दिनांक 16.06.2006(एक दिन), जो यात्रा करने में समय व्यतीत हुआ, के सेवा व्यवधान को सिविल सर्विस रेग्यूलेशनस के अनुच्छेद-422 तथा शासनादेश संख्या-सा-3-1713/दस-87-933/89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 के प्रस्तर-4(ज) में निहित व्यवस्था के अधीन मर्षित किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि श्री संजय कुमार सिंह-1 की सेवानिवृत्ति के समय यदि कोई भिन्न नियम प्रभावी होते हैं तो यथासमय उन्ही नियमों के अनुरूप अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। उक्त व्यवधान की अवधि दिनांक 16-06-2006 को किसी भी दशा में अर्हकारी सेवा के रूप में जोड़ा नहीं जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (सामान्य)अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या-3-874/दस-2013 दिनांक 26 सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-714(1)-दो-04-2013-तददिनांक

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को श्री संजय कुमार सिंह-1, अपर सिविल जज (सी0डि0) मेरठ की पूर्व/वर्तमान न्यायिक सेवापुरस्तिका (मूलरूप) दो अदद संलग्न कर कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- जनपद न्यायाधीश, मेरठ।
- 4- पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन 8वाँ तल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 6- श्री संजय कुमार सिंह-1, अपर सिविल जज (सी0डि0), मेरठ।
- 7- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
- 8- गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,
(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव

S.O. Adm H/A

DR (M)
28/10/13

DR (M)
28/10/13

2
2013

Request-78
Registered Post

From,
Maharani Din,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,
The Under Secretary,
Appointment Section-4,
Government of U.P.,
Lucknow.

100
No. 9/24 /IV-3210/Admin.(A)

Dated: July 09th, 2013.

Subject: Counting of previous service of Sri Sanjay Kumar Singh-I, the then Additional Chief Judicial Magistrate, Sultanpur now posted as Addl. Civil Judge(SD)/ACJM, Meerut with his present service in U.P. Judicial Services.

Sir,

With reference to Government letter No. 2079/II-4-12-23(12)/2007 dated 22.04.13, on the above subject, I am sending herewith copy of letter No. 1474/I dated 17.06.13 of the District Judge, Sultanpur along with both the service-books (of previous service and present service) of Sri Sanjay Kumar Singh-I, Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut as well as sought information/documents and request you to kindly obtain necessary orders of the Government in the instant matter, at the earliest possible, under intimation to this Court.

Enclosures:

- (1) Copy of letter No. 1474/I dated 17.06.13, along with its enclosures, of the District Judge, Sultanpur.
- (2) Original Service-book (in two volume) of Sri Sanjay Kumar Singh-I, Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut.

Yours faithfully,

Maharani Din
4.7.13
Deputy Registrar

101
No. 9/25 /IV-3210/Admin.(A)

Dated: July 09th, 2013.

Copy forwarded for information and necessary action to:

- (1) The District Judge, Sultanpur with reference to letter No. 1474/I dated 17.06.13
- (2) Sri Sanjay Kumar Singh-I, Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut.

Maharani Din
4.7.13
Deputy Registrar

DR (M)
May kindly see below placed
letter of D.J., Sultanpur and
issue of

Prachi Dixit
2.7.13 (ARO)

[Signature]
02/07/13
[Signature]
02-07-13
AR

25-6-13

10357

REGISTERED

Request-78

From,

The District Judge,
Sultanpur.

Register No.
File No.	IV-3210-98
Date	26/6/13

⑤ 23/6/13
SIX Leave Encl.
& Two Service Book
To,

Sri Mahrani Din,
Deputy Registrar (M),
Hon'ble High Court of Judicature at
Allahabad.

29-6-13

No. 1474 /I, Dated: Sultanpur: June, 17, 2012.

Subject: Counting of previous service of Sri Sanjay Kumar Singh-I, the then A.C.J.M., Sultanpur now posted as A.C.J.M., Meerut with his present service in U.P. Judicial Services.

Sir,

With reference to the Hon'ble Court's letter no. 6568/IV-3210/Admin.(A), dated 07.05.2013 I have the honour to submit herewith information/ documents required vide Government letter no. 2079/दो-4-12-23(12)/2007, dated 22.04.2013.

② 1788
SO Admin H/A

- 1- Sri Sanjay Kumar Singh, the then A.C.J.M., Sultanpur has submitted his explanation regarding interruption of service on 16.06.2006 and has also submitted copy of relieving order from police department.
- 2- Service Book of previous service in police department of Sri Sanjay Kumar Singh, the then A.C.J.M., Sultanpur now posted as A.C.J.M., Meerut had been received after correction by Police Training Collage, Moradabad to the effect that he has not been paid salary for 10.09.2001 and has also certified his services from 11.09.2001 instead of 10.09.2001.

D R-(M)
20/6/13

The original service books (2 Volumes) of Sri Sanjay Kumar Singh-I, the then A.C.J.M., Sultanpur now posted as A.C.J.M., Meerut along with explanation submitted by him and letter of Police Training Collage, Moradabad are enclosed herewith for kind perusal of the Hon'ble Court.

Yours faithfully.

[Signature]
17.6.2013
I/c District Judge,
Sultanpur.

Enclosures:

1. Original Service Books (2 Volumes) of Sri Sanjay Kumar Singh-I, the then A.C.J.M., Sultanpur now posted as A.C.J.M., Meerut.
2. Explanation dated 01.06.2013 submitted by Sri Sanjay Kumar Singh-I, the then A.C.J.M., Sultanpur now posted as A.C.J.M., Meerut.
3. Copy of Relieving order dated 14.06.2006 from previous service.
4. Copy of representation of Sri Sanjay Kumar Singh-I, the then A.C.J.M., Sultanpur now posted as A.C.J.M., Meerut for merger of interruption of service dated 16.06.2006.
5. Original letter Police Training Collage, Moradabad.

No. /I, Dated: Sultanpur: June ,2012.

Copy forwarded to : Sri Sanjay Kumar Singh-I, the then A.C.J.M., Sultanpur now posted as A.C.J.M., Meerut for information.

Km. Pravati Ji

[Signature]
01/07/13

[Signature]
I/c District Judge,
Sultanpur.

Registered Post

Request-78

From,
Maharani Din,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,
The District Judge,
Sultanpur.

96

No. 6568 /IV-3210/Admin.(A)

Dated: May. 07th, 2013.

Subject: Counting of previous service of Sri Sanjay Kumar Singh-I, the then Additional Chief Judicial Magistrate(Railway), Gonda now posted at Sultanpur with his present service in U.P. Judicial Services.

Sir,

With reference to aforesaid subject, I am sending herewith copy of Government letter No. 2079/II-4-12-23(12)/2007 dated 22.04.13 along with both the service-books(of previous service and present service) of Sri Sanjay Kumar Singh-I, Additional Chief Judicial Magistrate, Sultanpur and request you to kindly send requisite information/documents, as sought vide aforementioned Government letter, to this Court, at the earliest possible so that same may be sent to Government for further necessary action in the instant matter.

Enclosures:

- (1) Copy of Government letter No. 2079/II-4-12-23 (12)/2007 dated 22.04.13.
- (2) Original Service-book(in two volume) of Sri Sanjay Kumar Singh-I, Additional Chief Judicial Magistrate, Sultanpur.

Yours faithfully,
Maharani D.
2.5.13
Deputy Registrar

97

No. 6569 /IV-3210/Admin.(A)

Dated: May. 07th, 2013.

Copy forwarded for information and necessary action to;

- (1) The Under Secretary, Appointment Section-4, Government of U.P, Lucknow with reference to Government letter No. 2079/II-4-12-23(12)/2007 dated 22.04.13.
- (2) Sri Sanjay Kumar Singh-I, Additional Chief Judicial Magistrate, Sultanpur.

Maharani D.
2.5.13
Deputy Registrar

DR(M)
May kindly see below placed
Govt. letter dt. 22.4.13 and
issue ?

Pranish Singh
2.5.13 (AKO)

Dhiman
2.5.13
AR

सुवापुस्तिका
26-4-13
दस्तावेज नं. 1120
1120
1-5-13

Request-78

संख्या-2079/दो-4-12-23(12)/2007

24-4-13

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

IV/3210

95

29/4/13

8

1-5-13

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 22 अप्रैल, 2013

विषय:- श्री संजय कुमार सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (रेलवे) गोण्डा द्वारा पूर्व में उप निरीक्षक (ना0पु0), के पद पर दिनांक 10-09-2001 से 16-06-2006 तक की गयी सेवा को न्यायिक सेवा के साथ गणना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या-17263/चार/3210/एडमिन(ए), दिनांक 09.11.2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा श्री संजय कुमार सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे), गोण्डा की पूर्व/वर्तमान न्यायिक सेवा की सेवा पुस्तिकायें आवश्यक कायवाही हेतु शासन को उपलब्ध करायी गयी है।

2- इस सम्बन्ध में श्री संजय कुमार सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे), गोण्डा की पूर्व /न्यायिक सेवा की सेवापुस्तिका दो अदद मूलरूप में प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इस सम्बन्ध में निम्न तीन बिन्दुओं पर उल्लिखित तथ्यों/सूचनाओं का समाधान कर उक्त पूर्व सेवापुस्तिका मूलरूप में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

(1) श्री सिंह को पूर्व विभाग से दिनांक 16-06-2006 की पूर्वाह्न में अवमुक्त किया गया तथा उन्होंने नई सेवा में दिनांक 17-06-2006 के पूर्वाह्न में योगदान किया। इस प्रकार दिनांक 16-06-2006 (एक दिन) का सेवा व्यवधान हुआ। सेवा व्यवधान का कारण/आधार स्पष्ट किया जाय।

(2) श्री सिंह द्वारा पूर्व विभाग में प्रथम बार दिनांक 10-09-2001 अपराह्न को योगदान किया गया है जैसा कि आदेश संख्या-हि0आ0पु0-234, दिनांक 13-09-2001 (सेवा पुस्तिका में चस्प है)। अतः उनकी सेवायें दिनांक 11-09-2001 से प्रारम्भ मानी जायेगी। अतएव दिनांक 10-09-2001 (एक दिन) का वृत्तन राज्य सरकार के राजकोष में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराये तथा सेवा पुस्तिका में भी दिनांक 10-09-2001 के बजाय दिनांक 11-09-2001 से सेवा सत्यापन भी संशोधित कराये।

(3) सेवापुस्तिका(पूर्व) पताका 'क' पर त्याग-पत्र मंजूर किया जाना अंकित है। त्याग-पत्र स्वीकृत किये जाने संबंधी आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए पुष्टि करे कि त्याग-पत्र किस आधार/कारण से स्वीकार किया गया।

संलग्नक:- यथोक्त(मूलरूप में दो अदद)

भवदीय,

(धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय)
अनु सचिव

DRCM

With Enc Two Service Book

संख्या-2079(1)/दो-4-12-23(12)/2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि श्री संजय कुमार सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (रेलवे), गोण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय)
अनु सचिव

35 APR 2013

Mr. Pranti

02-5-13
BR

Registered Post

Request-78

From, ~~Maharani Din,~~
gk Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,
The Under Secretary,
Appointment Section-4,
Govt. of U.P.,
Lucknow.

89
/

No. 17263/IV-3210/Admin.(A)

Dated: Nov. 09, 2012.

Subject: Counting of previous service of Sri Sanjay Kumar Singh, Addl. Chief Judicial Magistrate(Railway), Gonda with his present service in U.P. Nyayik Sewa.

Sir,

With reference to Govt. letter No. 796/II-04-2012-23(12)/2007 dated 7.5.12, on the above subject, I am sending herewith both the service-book (of previous service and present service) of Sri Sanjay Kumar Singh, Addl. Chief Judicial Magistrate(Railway), Gonda, with all his service related entries duly attested and verified and request you to kindly obtain orders of Govt. in this matter, at an early date, under intimation to this Court.

Enclosures:

Service-book (in two volume) of Sri Sanjay Kumar Singh,
Addl. Chief Judicial Magistrate(Railway), Gonda.

Yours faithfully,

gk *Suman*
6-11-12
Deputy Registrar

No. 17264/IV-3210/Admin.(A)

Dated: Nov. 09, 2012.

90
/

Copy forwarded for information and necessary action to:

- (1) The District Judge, Gonda.
- (2) Sri Sanjay Kumar Singh, Addl. Chief Judicial Magistrate(Railway), Gonda.

gk *Suman*
6-11-12
Deputy Registrar

DR (M)
May kindly see below placed
letter of the Treasury office,
Allahabad and issue

Pratik Dixit
5-11-12 (AR)

Suman
06/11/12

Suman
6-11-12
AR

Scandal
18-5-12
w.o. Encl

19.5.12

Request-78

संख्या-796/दो-04-2012-23(12)/2007

प्रेषक

योगेश्वर राम मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

207

1284
1052
17/5/12

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

22/5/12
75
21-5-12
26-5-12

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक, 07 मई, 2012

विषय:- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (एन.ई.आर.) गोण्डा की पूर्व में उप निरीक्षक (ना.पु0) के पद पर की गयी सेवा को आगणित किये जाने के सम्बन्ध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-3274/दो-4-2009-23(12).2007 दिनांक 28.10.2009, संख्या-4694/दो-04-2009-23(12)/2007 दिनांक 25.04.2011, संख्या-1795/दो-04-2009-23(12)/2007 दिनांक 26.7.2011 एवं अनुस्मारक संख्या-1795(1)/दो-04-2009-23(12)/2007 दिनांक 04.01.2011 के संदर्भ में अपने पत्र संख्या-6628/चार-32-3210/एडमिन(ए) दिनांक 25.04.2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (एन.ई.आर.) गोण्डा की पूर्व में उप निरीक्षक (ना.पु0) के पद पर दिनांक 10.09.2001 से 16.06.2006 तक की गयी सेवा को आगणित किये जाने हेतु पूर्व/वर्तमान न्यायिक सेवा की सेवापुस्तिकायें अभी तक शासन को उपलब्ध न कराये जाने के कारण प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित चल रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज की पूर्व/वर्तमान सेवा की सेवापुस्तिका में समस्त प्रविष्टियों एवं कार्यरत अवधि की सेवाओं को सत्यापित कराकर पूर्व/न्यायिक सेवा की सेवापुस्तिकाएँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पूर्व सेवागणना सम्बन्धी प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जाना संभव हो सके।

भवदीय,
(योगेश्वर राम मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या-796/दो-04-2012-23(12)/2007-तददिनांक

प्रतिलिपि श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (एन.ई.आर.) गोण्डा को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(योगेश्वर राम मिश्र)
संयुक्त सचिव।

1608
So. Advn H/A

DR(m)
17/5/12
7

JR(m)
17/5/12

Km. Prantiy

DR(m)

Necessary action has already been taken vide

File
20/5/12
AR/bleen
20/5/12

court's letter no:
7969/IV-2210/Admn. A dt
May 22, 2012. May file
Prantiy & Sonk
29/5/12 (AR)

Request-78

Registered Post

From, Maharani Din,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To, The Additional Director,
Directorate of Treasuries,
New Treasury Building,
Kutchery Road, Allahabad.

76

No. 7968 /IV-3210/Admin.(A)

Dated: May 22, 2012.

Subject: Counting of previous service of Sri Sanjay Kumar Singh, Addl. Chief
Judicial Magistrate(Railway), Gonda with his present service in U.P. Nyayik
Sewa.

Sir,

Sending

I am ~~desired to send~~ herewith copy of Govt. letter No. 4694/II-04-2009-23(12)/
2007 dated 25.04.11, on the above subject, with the request to send service
books(previous & present service) of Sri Sanjay Kumar Singh, Addl. Chief Judicial
Magistrate(Railway), Gonda, with all his service related entries duly attested, to this
Court, at the earliest possible, so that further necessary action may be taken in this
matter.

Enclosures:

Copy of Govt. letter no. 4694/II-04-
2009-23(12)/2007 dated 25.04.11.

Yours faithfully,
Maharani D.
14.5.12
Deputy Registrar

77

No. 7969 /IV-3210/Admin.(A)

Dated: May 22, 2012.

Copy forwarded for information and necessary action to:

- (1) The Under Secretary, Appointment Section-4, Govt. of U.P., Lucknow with
reference to Govt. letter No. 1795(2)/II-04-2009-23(12)/2007 dated nil.
- (2) Sri Sanjay Kumar Singh, Addl. Chief Judicial Magistrate(Pailway), Gonda.

Maharani D.
14.5.12
Deputy Registrar

DR(M)

May kindly see
below placed
letter and
issue?

Pranish Shrivastava
14.5.12 (AR)

DR(M)
25/5/12

Pranish
2-5-12
AR

Scanned
17-2-12
100 Encl

Request-78

संख्या-1795(2)/दो-04-2009-23(12)/2007

प्रेषक

श्याम सुन्दर,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

LMC
23/2/12

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

IV/3210

70

3

23/2/12

28-4-12

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक, जनवरी, 2011

विषय:- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (एन.ई.आर.) गोण्डा की पूर्व में उप निरीक्षक (ना.पु0) के पद पर की गयी सेवा को आगणित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-3274/दो-4-2009-23(12).2007 दिनांक 28.10.2009, संख्या-4694/दो-04-2009-23(12)/2007 दिनांक 25.04.2011 एवं अनुस्मारक संख्या-1795/दो-04-2009-23(12)/2007 दिनांक 26.7.2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में वॉछित सूचना/सेवापुस्तिकाएँ अभी तक शासन को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रकरण लम्बित है।

2- अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज की पूर्व/वर्तमान सेवा की सेवापुस्तिका में समस्त प्रविष्टियों एवं कार्यरत अवधि की सेवाओं को सत्यापित कराकर पूर्व/न्यायिक सेवा की सेवापुस्तिकाएँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पूर्व सेवागणना सम्बन्धी प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जाना संभव हो सके।

भवदीय,

(श्याम सुन्दर)
अनुसचिव।

संख्या-1795(3)/दो-04-2011-23(12)/2007-तददिनांक

प्रतिलिपि श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (एन.ई.आर.) गोण्डा को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(श्याम सुन्दर)
अनुसचिव।

Km. Pranki

30/4

1190
So Admn H/A
14/2/12

4
38 M

1188/66 11/12

Request-78

Registered Post

From,
Maharani Din,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,
The Joint Secretary,
Appointment Section-4,
Government of U.P.,
Lucknow.

73

No. 6628 /IV-3210/Admin.(A)

Dated: April 25, 2012.

Subject: Counting of previous service of Sri Sanjay Kumar Singh, Addl. Chief Judicial Magistrate(Railway), Gonda with his present service in U.P Nyayik Sewa.

Sir,

I am directed to send herewith a copy of letter dated 03.01.2011 of Sri Sanjay Kumar Singh, Addl. Chief Judicial Magistrate(Railway), Gonda along with its enclosures, on the above subject, and request you to kindly take necessary action in this matter, at an early date, under intimation to this court.

Enclosure:

Copy of letter dt. 03.01.2011 of Sri Sanjay Kumar Singh, along with its enclosures.

Yours faithfully,

Maharani Din
12.4.12
Deputy Registrar

DR(M)

May kindly see
the code No. 9/4/12
placed below) 6629

74

No. 6629 /IV-3210/Admin.(A)

Dated: April 25, 2012.

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. The District Judge, Gonda with reference to his endorsement No. 26 dated 03.01.11.
2. Sri Sanjay Kumar Singh, Addl. Chief Judicial Magistrate(Railway), Gonda.

Hanti Dist
12.4.12 (AR)

Maharani Din
15.4.12
Deputy Registrar

DR(M)
12/4/12
12-4-12
AR

Secretal
17-1-11
Encl-4

Request-78
1808

Regd.

2
17-1-11
17-1-11
22-1-11

3210
ST

31
22/1/11

20-1-12

प्रेषक

संजय कुमार सिंह

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (रेलवे)

गोडां

सेवा मे

माननीय महानिबंधक

माननीय उच्च न्यायालय

इलाहाबाद

द्वारा

माननीय जनपद न्यायाधीश

गोडां

बिषय: पूर्व सेवा काल को वर्तमान सेवाकाल मे समायोजित किये जाने विषयक प्रत्यावेदन शासन को संदर्भित करने के सबंध मे

महोदय

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी वर्तमान मे अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रेलवे गोडां के पद पर कार्यरत है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जू. डि.) परीक्षा 2003 मे अंतिम रूप से चयनित होने के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग -4 के पत्रांक सं 2430 / दो-04-2006-32(1)/2001 टी. सी. -1 दिनांकित 26 मई 2006 के द्वारा प्रार्थी की नियुक्ति जनपद गाजीपुर मे हुई तथा इसी अनुक्रम मे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधिसूचना सं 1010/डी. आर. (एस)/ 2006 द्वारा प्रार्थी की नियुक्ति अपर सिविल जज (जू. डि.) गाजीपुर के पद पर की गई थी।

वर्तमान न्यायिक सेवा मे आने के पूर्व प्रार्थी उ. प्र. पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्रांक सं पाचै-III (नियुक्ति) 2000 दिनांकित 30-8-2001 के द्वारा 10-9-2001 से उप निरीक्षक (ना. पु.) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया तथा प्रार्थी न दिनांक 10-9-2001 से 16-06-2006 तक उ. प्र. पुलिस विभाग मे अपनी सेवाये प्रदान की तथा दिनांक 17-06-2006 से उ. प्र. न्यायिक सेवा मे कार्यरत है।

प्रार्थी द्वारा पूर्व मे अपनी पूर्व की सेवाओ को वर्तमान सेवाओ मे पेशन आदि लाभो के लिये समायोजित किये जाने हेतु प्रत्यावेदन शासन को किया गया था जो शासन के पत्र सं 3274(1) / दो-4-09-23 (12) / 07 दिनांकित 28-10-2009 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

पुनः शासन द्वारा दिनांक 16-09-2010 को शासनादेश सं सा -3 -1671(1) / दस-2010-301 (09) / 2003 टी. सी. दिनांकित 16 सितंबर 2010 जारी किया गया है जिसके अनुसार पूर्व की सेवा को पुनः वर्तमान सेवा मे समायोजित किये जाने का उल्लेख किया गया है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी पुनः शासन को अपनी पूर्व की सेवा को पेशन आदि लाभो के लिये वर्तमान सेवा मे

Spanner
22/1/12

2

ou
235
S.O. Adm H/A

Suk Kumar

J-R-M

17-01-11

20

J-R-M
17-01-11

13 JAN 2011

request-78

समायोजित किये जाने हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर रहा है।

अतः श्रीमानजी से विन्नम निवेदन है कि संलग्न प्रत्यावेदन को शासन संदर्भित करने की महती कृपा करे ताकि प्रार्थी की पूर्व की सेवा को वर्तमान सेवा मे समायोजित किया जा सके। प्रार्थी इसके लिये श्रीमानजी का सदा आभारी रहेगा।

सादर

भवदीय



(संजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी

रेलवे गोडां

दिनांक : 1.1.11

26 दिनांक 03-01-2011
संख्या 26/03-01-2011

अनुमति

जनपद न्यायाधीश, रोहतास

03.1.2011

Request-28

प्रेषक

संजय कुमार सिंह
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (रेलवे)
गोडां

सेवा मे

प्रमुख सचिव
नियुक्ति अनुभाग-4
उ. प्र. शासन लखनऊ

द्वारा

महानिबंधक
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद

बिषय: पूर्व सेवा काल को वर्तमान सेवाकाल मे समायोजित किये जाने के सबंध मे महोदय

ससम्मान निवेदन है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जू. डि.) परीक्षा 2003 मे अंतिम रूप से चयनित होने के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग -4 के पत्रांक सं 2430 / दो-04-2006-32(1)/2001 टी. सी. -1 दिनांकित 26 मई 2006 के द्वारा प्रार्थी की नियुक्ति जनपद गाजीपुर मे हुई तथा इसी अनुक्रम मे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधिसूचना सं 1010/डी. आर. (एस)/ 2006 द्वारा प्रार्थी की नियुक्ति अपर सिविल जज (जू. डि.) गाजीपुर के पद पर की गई तथा वर्तमान मे प्रार्थी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रेलवे गोडां के पद पर कार्यरत है।

वर्तमान न्यायिक सेवा मे आने के पूर्व प्रार्थी उ. प्र. पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्रांक सं पाचै-III (नियुक्ति) 2000 दिनांकित 30-8-2001 के द्वारा 10-9-2001 से उप निरीक्षक (ना. पु.) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया तथा नियत प्रशिक्षण की अवधि पुलिस ट्रेनिंग कालेज मुरादाबाद से पुरा करने के उपरांत दिनांक 10-9-2002 से जनपद वाराणसी मे उप निरीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया तथा उप निरीक्षक के रूप मे कार्य करते हुये प्रार्थी पुलिस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर उ. प्र. न्यायिक सेवा परीक्षा 2003 मे सम्मिलित हुआ तथा अंतिम रूप से चयनित हुआ।

पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी परीक्षेत्र के आदेश दिनांक 15 जून 2006 के द्वारा प्रार्थी को पुलिस विभाग से विमुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की गई तथा 16 जून 2006 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा प्रार्थी को कार्यमुक्त किया गया तथा इस प्रकार प्रार्थी कार्यमुक्त होकर दिनांक 17-06-2006 को माननीय जनपद न्यायधीश महोदय गाजीपुर को अपना योगदान आख्या प्रस्तुत किया था।

इस प्रकार प्रार्थी ने दिनांक 10-9-2001 से 16-06-2006 तक उ. प्र. पुलिस विभाग मे अपनी सेवाये प्रदान की तथा दिनांक 17-06-2006 से उ. प्र. न्यायिक सेवा मे कार्यरत है।

6

प्रार्थी द्वारा पूर्व मे

अपनी पूर्व की सेवाओ को वर्तमान सेवाओ मे पेशन आदि लाभो के लिये समायोजित किये जाने हेतु प्रत्यावेदन शासन को किया गया था जो शासन के पत्र सं 3274(1) / दो-4-09-23 (12) / 07 दिनांकित 28-10-2009 द्वारा निरस्त कर दिया गया।


पुनः शासन द्वारा दिनांक 16-09-2010 को शासनादेश सं सा -3 -1671(1) / दस-2010-301 (09) / 2003 टी. सी. दिनांकित 16 सितंबर 2010 जारी किया गया है जिसमे यह उल्लिखित है कि

" ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने राज्य सरकार की अथवा ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओ और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ जिनमे राज्य कर्मचारियो की पेशन योजना की भाति पेशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है की पेशनयुक्त सेवा मे दिनांक 1 अप्रैल 2005 के पूर्व योगदान किया है तथा दिनांक 1 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात राज्य सरकार की अथवा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओ और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ की पेशनयुक्त सेवा मे अपनी पूर्व की सेवा से कार्यमुक्त होकर अथवा तकनीकी रूप से त्यागपत्र देकर नियुक्त होते है तो वे उसी पेशन योजना से आच्छादित माने जायेगे जिस पेशन योजना से वे दिनांक 1 अप्रैल 2005 के पूर्व आच्छादित थे "

ऐसी स्थिति मे वर्तमान शासनादेश के अनुक्रम मे मेरी पूर्व की सेवा को वर्तमान सेवा मे सेवानैवृत्तिक लाभो के लिये समायोजित किया जाना आवश्यक है तथा उपरोक्त शासनादेश के अनुक्रम मे मेरे द्वारा पुनः अपनी पूर्व की सेवा को वर्तमान सेवा मे समायोजित किये जाने हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा रहा है जिसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उचित आदेश पारित करने की कृपा करे ताकि उपरोक्त वर्णित पूर्व सेवा के सेवानैवृत्तिक लाभ मुझे भी प्राप्त हो सके।

सादर

भवदीय



(संजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी

रेलवे गोडां

दिनांक 1.1.11

संलग्नक

- 1) पूर्व मे शासन द्वारा निरस्त किये गये आदेश की प्रति
- 2) वर्तमान शासनादेश सं दिनांकित

Request-78

संख्या-3-1074/दस-2010-301(9)/2005

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

उत्तर प्रदेश दिनांक : 28 मार्च, 2005

विषय :- अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की भौति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से नये प्रवेशकों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गयी है। राज्य सरकार की सेवा में और ऊपर उल्लिखित संस्थाओं में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात् प्रवेश करने वाले कर्मियों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू है।

2- वित्त विभाग में इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण प्रदान किये जाने संबंधी संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं कि ऐसे कर्मचारी जो राज्य सरकार की किसी पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व नियुक्त हो चुके थे तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य सेवा / संवर्ग में पेंशनयुक्त पद पर नियुक्त होते हैं, तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व लागू थी, से आच्छादित माना जायेगा अथवा नई पेंशन योजना से।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने राज्य सरकार की अथवा ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भौति पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, की पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व योगदान किया था तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात् राज्य सरकार की अथवा शासन के नियंत्रणाधीन उक्त उल्लिखित स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की पेंशनयुक्त सेवा में अपनी पूर्व सेवा से कार्यमुक्त होकर अथवा तकनीकी त्याग-पत्र देकर नियुक्त होते हैं, तो वे उसी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे जिस पेंशन योजना से वे दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व आच्छादित थे।

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव, वित्त।

--2/-

-2-

संख्या : सा-3-1671(1) / दस-2010-301(09) / 2003 टी0सी0, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तरप्रदेश, इल
- 4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 6- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
- 7- निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 8- समस्त जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 9- जनप्रद एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश ।
- 10- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- 11- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 12- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस
असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी दस हजार प्रतियाँ श
उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(नील रतन कृ
संयुक्त सचि

Request-28

विशेष बाहक द्वारा
संख्या-3274/दो-4-09-23(12)/07

प्रेषक,
अवधेश कुमार सिंह राठौर,
विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन।
सेवा में,
महानिबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक 29 अक्टूबर, 2009

विषय:- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (जू.डि.) गाजीपुर की पूर्व सेवाओं की गणना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-10403/चार-3274/एडमिन(ए) दिनांक 22-8-2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री संजय कुमार सिंह द्वारा उ० प्र० न्यायिक सेवा में दिनांक 17-6-2008 को योगदान करने से पूर्व उपनिरीक्षण (ना.पु.) के पद पर दिनांक 10.9.2001 से दिनांक 10.8.2008 तक की गई सेवाओं को रोयानैपूरितिक लाभ हेतु आगणित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होने के कारण दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त योगदान करने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा के साथ रोयानैपूरितिक लाभ हेतु आगणित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। साथ ही अपगत करा दिया जाय कि दिनांक 1.4.06 या उसके बाद सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी जी.पी.एफ. की सदस्यता नहीं गृहण करेंगे।

2- श्री सिंह की पूर्व/वर्तमान सेवापुरितिकार्यें संलग्नकर भेजी जा रही हैं।
संलग्नक-सेवापुरितिकार्यें (भूलरूप में)

भवदीय,

(अवधेश कुमार सिंह राठौर)
विशेष सचिव।

संख्या-3274(1)/दो-4-09-23(12)/07 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक पेंशन निदेशालय, इन्दिरा नवन 8वीं तल, उ० प्र०, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कर्मालय कचहरी रोड, इलाहाबाद।
- 4- जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।
- 5- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (जू.डि.) गाजीपुर।
- 6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
- 7- गार्ड बुक हेतु।

Scan copy to Sanjay K Singh

5-11-09

आज्ञा से,
(डा० सुनील कुमार)
अनु सचिव।

Regd. No. 5
 File No. IV-3210
 Serial No. 63

Request-78

Sacral
 10-8-11
 W.O. Encl
 2881

संख्या-4694(1)/दो-04-2009-23(12)/2007

प्रेषक

डा० सुनील कुमार,
 अनुसचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन।

31
 17/8/11
 8
 20-1-12

सेवा में,

महानिबन्धक,
 मा० उच्च न्यायालय,
 इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 26 जुलाई, 2011

विषय:- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (एन.ई.आर.) गोण्डा की पूर्व में उप निरीक्षक (ना.पु०) के पद पर की गयी सेवा को आगणित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-3274/दो-4-2009-23(12).2007 दिनांक 28.10.2009 एवं अनुस्मारक संख्या-4694/दो-04-2009-23(12)/2007 दिनांक 25.04.2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में वॉछित सूचना/सेवापुस्तिकाएँ अभी तक शासन को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रकरण लम्बित है।

2- अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज की पूर्व/वर्तमान सेवा की सेवापुस्तिका में समस्त प्रविष्टियों एवं कार्यरत अवधि की सेवाओं को सत्यापित कराकर पूर्व/न्यायिक सेवा की सेवापुस्तिकाएँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पूर्व सेवागणना सम्बन्धी प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जाना संभव हो सके।

भवदीय
 (डा० सुनील कुमार)
 अनुसचिव।

संख्या-4694(1)/दो-04-2011-23(12)/2007-तददिनांक

प्रतिलिपि श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (एन.ई.आर.) गोण्डा को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा. से.,

(डा० सुनील कुमार)
 अनुसचिव।

3160
 So. Admin. M/A

DR (M)
 09/8/11

12
 JRM
 W O Encl

8
 08 AUG 2011

Santal
6-5-11

Encl-①

प्रेषक

डा० सुनील कुमार,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

संख्या-4694/दो-04-2009-23(12)/2007

Request-78

2
5-11
5-12-11
3
9.5.11

9394

200

3746

23

3210

68

3
8/12/11

8
24-11-11

23

9/5/11
8/11/11

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 28 अप्रैल, 2011

विषय:- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (एन.ई.आर.) गोण्डा की पूर्व में उप निरीक्षक (ना.पु०) के पद पर की गयी सेवा को आगणित किये जाने के सम्बन्ध में।

20-1-12

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-3274/दो-4-2009-23(12).2007 दिनांक 28.10.2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा श्री संजय कुमार सिंह, की उपनिरीक्षक (ना०पु०) के पद पर की गयी सेवाओं को शासन द्वारा आगणित किये जाने का औचित्य न पाते हुए पूर्व/वर्तमान उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की सेवापुस्तिकायें आपको वापस कर दी गयी थी।

2- उक्त संदर्भ में अब वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-सा-सं३-1671/दस-2010-301(09)/2003 टी०सी० दिनांक 16 सितम्बर, 2010 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश के प्रस्तर-3 के अनुसार अब पूर्व सेवाओं को आगणित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। अतः अनुरोध है कि कृपया संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज की पूर्व/वर्तमान सेवा की सेवापुस्तिका में समस्त प्रविष्टियों एवं कार्यरत अवधि की सेवाओं को सत्यापित कराकर पूर्व/न्यायिक सेवा की सेवापुस्तिकाएँ शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पूर्व सेवागणना के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जाना संभव हो सके।

संलग्नक:-यथोक्त।

@/2089
So Adm M/A

55-11

J.R.M.
05/05/11

J.R.M.
(wani)

भक्तिय,
25/3/11
(डा० सुनील कुमार)
अनुसचिव।

संख्या-4694(1)/दो-04-2011-23(12)/2007-तददिनांक

04 MAY 2011 प्रतिलिपि श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (एन.ई.आर.) गोण्डा को कृपया सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Shri Pantaj Ji
26/11/11

आज्ञा से,
(डा० सुनील कुमार)
अनुसचिव।

SO Admin H

Kindly put up this copy
in correct misc file of office
concerned

Yes
W Bin
1/11/11

D K Sri Kishore
26-11-2011
RO Admin A-2

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

3302/57-3-10

Request-78

सेवा में।

- 1-समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

(सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 16 सितम्बर, 2010

विषय :- अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की भौति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से नये प्रवेशकों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गयी है। राज्य सरकार की सेवा में और ऊपर उल्लिखित संस्थाओं में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात् प्रवेश करने वाले कर्मियों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू है।

2- वित्त विभाग में इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण प्रदान किये जाने संबंधी संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं कि ऐसे कर्मचारी जो राज्य सरकार की किसी पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व नियुक्त हो चुके थे तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य सेवा / संवर्ग में पेंशनयुक्त पद पर नियुक्त होते हैं, तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व लागू थी, से आच्छादित माना जायेगा अथवा नई पेंशन योजना से।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने राज्य सरकार की अथवा ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भौति पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, की पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व योगदान किया था तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात् राज्य सरकार की अथवा शासन के नियंत्रणाधीन उक्त उल्लिखित स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की पेंशनयुक्त सेवा में अपनी पूर्व सेवा से कार्यमुक्त होकर अथवा तकनीकी त्याग-पत्र देकर नियुक्त होते हैं, तो वे उसी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे जिस पेंशन योजना से वे दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व आच्छादित थे।

(अनूप मिश्र)

प्रमुख सचिव, वित्त।

उत्तर

बीजायतवाली बीराकी
30/09/2010

संख्या : सी-3-1671(1) / दस-2010-301(09) / 2003 टी0सी0 तद्विनिर्देश

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद ।
- 4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 6- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
- 7- निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 8- समस्त जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 9- जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश ।
- 10- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- 11- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 12- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का इस आशय से कि इस असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी दस हजार प्रतियाँ शासन को अपिलम्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।